

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 369

दिनांक 19/8/19

आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018/182 दिनांक 18.06.2019 के अतिक्रमण में उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को अपने वर्तमान कार्यालय में निर्धारित कार्य के साथ साथ नियमित रूप से प्री.-2016 के पेन्शनर्स एवं पारिवारिक पेन्शन में संशोधन उपरान्त पीपीओ पर परीक्षणोपरान्त हस्ताक्षर करने हेतु वित्त (बीमा/पेन्शन) विभाग के पत्र क्रमांक प10(7)वित्त/राजस्व/2013लूज दिनांक 06.08.2018 के अन्तर्गत अधिकृत किया जाता है:-

क्रमांक	लिक नम्बर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1/ का नाम	पदस्थापित विभाग / कार्यालय का नाम	कोषालय का नाम जहाँ पेन्शन संशोधन कार्य किया जाना है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	5090	नाथूलाल शर्मा स.ले.अ.ग्रेड-1	निदेशक, राज. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर	जयपुर (पेंशन)	
2.	5.6	प्रेमप्रकाश पुरोहित स.ले.अ.ग्रेड-1	निदेशालय, कृषि, जयपुर	जयपुर (पेंशन)	

उपर्युक्त अधिकारीगण अविलम्ब कोषाधिकारी, जयपुर (पेंशन) से अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

दिनांक

क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 369

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेन्शन) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4. अतिरिक्त निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
5. संयुक्त निदेशक (कोष) कार्यालय हाजा को आज दिनांक 31 मई 2019 को हुई वी.सी. के सन्दर्भ में ।
6. कोषाधिकारी (पेंशन), जयपुर को आदिनांक 19.08.2019 को निदेशालय में हुई चर्चा की निरन्तरता में सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि यदि उक्त कार्मिक तत्काल आपके पास रिपोर्ट नहीं करते हैं तो कृपया अविलम्ब ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in अथवा 0141-2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित विभाग/कार्यालयाध्यक्ष को सूचनार्थ।
8. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को भेजकर निर्देश है कि आप सम्बन्धित कोषालय में प्री.-2016 के पेन्शनर्स की पेन्शन संशोधन हेतु अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कर सूचित करें।
9. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)